

वृत्तिलिपि आदेशा दिनांक 23-7-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिंदे
सदस्य राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर पृ०क्र० नि० 968-एक/०7
विरुद्ध आदेशा दिनांक 22-5-07 पारित द्वारा अर आयुक्त सागर
सभाग सागर पृ०क्र० 510/अ-6/05-06 •

1- चुन्ना पुत्र धर्मा अहीर
निवासी छुर्ह तहसील व जिला टोकमगढ
2- महिला राजकू वर पुत्री कूरा अहीर
निवासी बडा गाव छुर्ह तहसील व
जिला टोकमगढ म०प्र०

--- आवेदकगण

विरुद्ध

1- सपू पुत्र श्री कल्लू यादव
निवासी बडा गाव छुर्ह तहसील व
जिला टोकमगढ म०प्र०
2- रमेशापुसाद गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
गुप्ता निवासी बडा गाव छुर्ह तहसील व जिला
टोकमगढ म०प्र०
3- मध्यप्रदेशाशासन द्वारा राजेशा जैन हाल
पदस्थ अनुविभागाय अधिकार। टोकमगढ म०प्र०

--- अनावेदकगण

R 968-D 107

टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.7.14	<p>आवेदक श्रीमती <u>अश्विनी</u> द्वारा आवेदन किया कि उनके पास 1 बी. मुठु है जो गड्ड है, उसके आवेदन की ओर-दे उनके द्वारा अफिलतनामा पेश किया गया आवेदन भी अर्थात् आवेदन। अनवरत को ओ-दे श्री <u>भोगन्द</u> सिंह द्वारा आवेदन किया। आवेदक श्रीमती द्वारा अफिलतनामा पेश किया गया कि आवेदकों द्वारा अनवरत के राजीनामा के बिना गया है। राजीनामा के द्वारा आवेदकों का पहचान भी गड्ड। यदि निगरानीकर्ता एवं अनवरत प्रकरण को अज्ञात हो चुका है और श्रीमती द्वारा उनकी पहचान भी गड्ड है अतः प्रकरण इस तरह पर-समाप्त किया जाता है। प्रकरण राष्ट्रीय रिकार्ड है।</p>	<p><u>अश्विनी</u> <u>अनवरत</u> <u>भोगन्द</u> <u>श्री</u> <u>उत्तीरन</u></p>

अनवरत
अनवरत

19. 7. 2014